मान0 ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश/अतिमहत्वपूर्ण
संख्या-2रिट/नौ-5-2017-29रिट/2014

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषयःः मान0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या-199/2014 अलमित्रा एच पटेल एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2016 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

मान0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 199/2014, अलमित्रा एच. पटेल एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में सुनवाई करते हुए दिनांक 22.12.2016 को विस्तृत आदेश पारित किया गया है, जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आधिकारिक वेबसाइट तथा नगर विकास विभाग के वेबसाइट- urbandevelopment.up.nic.in पर उपलब्ध है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2016 का अध्ययन करते हुए मा0 न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन समयबद्व रूप से सुनिश्चित करते हुए अनुपालन की स्थिति से निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा मा0 न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन के संबंध में समयबद्ध रूप से अपेक्षित रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। मान0 न्यायाधिकरण के आदेशों के संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

यदि मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन में शिथिलता के फलस्वरूप अवमानना की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित संगठन/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी का होगा।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
03/01/2017
श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या-2रिट (1)/नौ-5-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को आदेश की प्रति सहित वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।